जमींन में खेती एवं अन्य स्रोतों के लिये परिवर्त्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आवेदक के दावों पर विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता है, जिसे अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 08/2013–14

उचित राय एवं अन्य .... अपीलकर्ता

बनाम

गुजर रजक एवं अन्य .... उत्तरकारी

॥ आदेश ॥

16/02/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0 08/2013–14 उचित राय एवं अन्य बनाम् गुरज रजक एवं अन्य, मौजा माझडीहा, अंचल जरमुंडी के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0 159/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

उत्तरकारी की उपस्थिति नहीं रहने के कारण उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के जमाबन्दी नं0 28 के अन्तर्गत दाग सं0 452 गत सर्वे सेटेलमेंट में गड़िया बोलकर दर्ज है। उत्तरकारी गुजर रजक ने उक्त दाग में वर्ष 1975 में रकवा 27 डीसमल जमींन मौजा के प्रधान नंदलाल राय द्वारा पट्टा बन्दोबस्ती के आधार पर प्राप्त जमींन का सीमांकन हेतु निम्न न्यायालय में वाद दायर किया था। जिसे निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत जमींन खतियान में गड़िया बोलकर दर्ज रहने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त किया गया है। पुनः अपीलकर्त्ता द्वारा उसी दाग में उसी प्रधान द्वारा दिनांक 12.10.1968 को बन्दोबस्ती के आधार पर 13 कठ्ठा जमींन पर अपना दावा करते है। उनका कहना है कि गड़िया अब खेत बन चुका है। अतः उनका दावा सही है।

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 35 में उल्लेख है कि –

Water reservoirs channels for irrigation, etc not be to be cultivated or converted to office, purposes- (1) Bandhs, aharas, tanks and other water reservoirs or channels, which are used either for the purposes of protection from flood or for irrigation, bathing, washing or drinking, shall not be settled for or converted to any other purpose without the consent of the raiyats and the village headman or mulraiyat, or the landlord in khas village, and the approval of the Deputy Commissioner. No one shall bring under cultivation any such water reservoir of channel.

प्रश्नगत जमींन भी इसी स्रोत के अन्तर्गत आता है जिसे स्थानीय भाषा में गड़िया कहा जाता है। इसी धारा के अन्तर्गत उक्त